

सं०सं०-1/विविध-39/2017- ४५(1)७०

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ९ / ०१ / 201९

विषय:- नवनिर्मित 10 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी निर्माण एवं फर्नीचर आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख साठ हजार सात सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-4३(1) दिनांक-09.01.2018 द्वारा नवनिर्मित 10 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी निर्माण एवं फर्नीचर आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख साठ हजार सात सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।


(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।



क्रमशः

- 5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0112-ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड-20-4210031050112 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- 6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।
- 7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 9- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-39/2017- 8511000 /स्वा0, पटना, दिनांक- 9 / 01 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक /संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 9 / 01 / 2018

विषय:- नवनिर्मित 10 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी निर्माण एवं फर्नीचर आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख साठ हजार सात सौ) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-1302 दिनांक-21.07.2017 के आलोक में नवनिर्मित 10 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी निर्माण एवं फर्नीचर आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 9,55,60,700/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख साठ हजार सात सौ) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	संस्थान का नाम	प्राक्कलित राशि
1	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, शिवहर	97,85,000 /-
2	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, खगड़िया	1,00,25,100 /-
3	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, लखीसराय	78,69,900 /-
4	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, लक्ष्मीपुर, जमुई	91,22,600 /-
5	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, रजौली, नवादा	80,23,700 /-
6	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, दाउदनगर	1,03,50,200 /-
7	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, मैरवा, सिवान	99,34,000 /-
8	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, भभुआ, कैमूर	95,64,300 /-
9	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, त्रिवेणीगंज, सुपौल	1,00,05,800 /-
10	ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास, जाले, दरभंगा	1,08,80,100 /-
कुल-		9,55,60,700 /-

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

← 

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0112-ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड-20-4210031050112 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-10.10.2017 के योजना क्रमांक-1 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-39/2017 के पृष्ठ-~~0.6~~/टि0 पर प्राप्त है।

10- प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं0सं0-1/विविध-39/2017 के पृष्ठ-~~0.8~~/टि0 पर प्राप्त है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-39/2017- 43(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- ७ / ०1 / 2018

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव